उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
ई0पत्रा0 सं0–98693
संख्या–368039/2026/XXVII(9)/स्टाम्प–02/2026
देहरादूनः दिनांकः 05 फरवरी, 2026

कार्यालय आदेश

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत उप निबंधक कार्यालय, ऋषिकेश का उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (रा0) देहरादून की उपस्थिति में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 28.01.2026 को किये गये औचक निरीक्षण के परिणामस्वरूप उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (रा0) की संयुक्त जॉच आख्या के आधार पर श्री हरीश कुमार, उप निबंधक, ऋषिकेश के बिना किसी सूचना के अनुपस्थिति, संदर्भगत कार्यालय में तत्समय तैनात निबंधक लिपिक द्वारा पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया जाना, श्री जितिन पंवार, फर्जी कर्मचारी से अनाधिकृत तौर से विलेखों का पंजीकरण निष्पादित कराया जाना, पंजीकृत दस्तावेजों को कार्यालय में महिनों/वर्षों तक विधि विरूद्व तरीके से धारित/लंबित रखना, ग्राम माजरी ग्रांट, तहसील डोईवाला में दून घाटी विशेष महायोजना 2031 के अंतर्गत आरक्षित औद्योगिक भूमि का आवासीय दरों पर पंजीकरण की कार्यवाही परिलक्षित करता है कि श्री कुमार द्वारा वर्तमान में प्रचलित/विद्यमान नियमों/अधिनियमों का यथा–भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 47क, भारतीय रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम 325, नियम 195 व 196, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 368, दिनांक 28.04.2016 का संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे स्टाम्प अपवंचना के दृष्टिगत सरकार को गहन राजस्व क्षति हुई है।

2– जॉच आख्या के आधार पर श्री हरीश कुमार, उप निबन्धक, ऋषिकेश को पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करने का प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया है। उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपो की गम्भीरता के दृष्टिगत् उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) मे प्रदत्त शक्ति के अधीन सम्यक् निर्णयोपरांत श्री हरीश कुमार, उप निबन्धक, ऋषिकेश को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए, उनके विरूद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. निलम्बन अवधि में श्री हरीश कुमार, उप निबन्धक, ऋषिकेश को वित्तीय हस्त पुस्तिका नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई अन्य मंहगाई भत्ते देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा अन्य मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था । निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

File No. FIN9-SR/M/1/2026-XXVII-9-Finance Department (Computer No. 98693)
Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 05/02/2026 02:34 pm

4. उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान तभी किया जायेगा जब कि श्री हरीश कुमार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

5. श्री हरीश कुमार निलम्बन अवधि में कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धक मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में सम्बद्ध रहेंगे ।

6. श्री हरीश कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

Digitally signed by Dilip Jawalkar
Date: 05-02-2026 13:16:46

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

पृ0संख्या–368039(1)/2026/XXVII(9)/स्टाम्प–02/2026/तददिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्रीजी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

Digitally signed by Ganga Prasad
Date: 05-02-2026 14:21:30

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।